


एक/2016
त



51

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक...../2016 दिनांक - 3093-I 16

आवेदक- कालू उर्फ कलुवा भुमिया आत्मज श्री रत्ना भुमिया जाति-आदिवासी
निवासी-ग्राम लमतारा तह0 व जिला कटनी म0प्र0

विरुद्ध

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/बी-121/2013-14, में पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक ग्राम लमतारा तह0 व जिला कटनी का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक की ग्राम लमतारा प0ह0नं0 40/50, रा0नि0मं0 मुड़वारा-2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 116 रकवा 0.36 हे0 भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज है।
3. यह कि, उक्त भूमि पूर्व में श्री बाबूलाल वल्द बोड़ा निवासी-ग्राम लमतारा तह0 व जिला कटनी के नाम भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज थी। उक्त भूमि श्री बाबूलाल को शासन द्वारा वर्ष 1975 के पूर्व पट्टे पर प्रदान की गई थी। जिन्हे 10 वर्ष बाद धारा 158 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे बाद के वर्षों में उनका नाम बतौर भूमिस्वामी खसरा अभिलेख में दर्ज किया गया तथा भूमि स्वामी अधिकार की ऋणपुस्तिका प्रदान की गई।
4. यह कि, बाबूलाल वल्द बोड़ा के द्वारा ग्राम-लमतारा प0ह0नं0 40/50, रा0नि0मं0 मुड़वारा-2, तह0 व जिला कटनी के खसरा नंबर 116, रकवा 0.36 हे0 भूमि को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 15.07.2008 को विक्रयपत्र की संपूर्ण राशि प्राप्त कर आवेदक के पक्ष में विक्रयपत्र का निष्पादन कराया गया है।
5. यह कि, विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति वर्ग (भुमिया/आदिवासी) के होने के कारण विक्रय पूर्व मान्नीय कलेक्टर महोदय की विक्रय अनुमति आवश्यकता नहीं थी, अतः आवेदक द्वारा आदिवासी से आदिवासी पक्ष में विक्रयपत्र का निष्पादन कराया गया है जो कि वैध संव्यवहार है तथा उक्त संव्यवहार के लिये भूमि विक्रय अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।
6. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 69/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2014, आवेदक को उक्त प्रकरण में विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, आवेदक की ग्राम लमतारा स्थित भूमि खसरा नंबर 116 रकवा 0.36 हे0 के खसरा अभिलेखों पर मध्यप्रदेश शासन का नाम दर्ज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर आवेदक के द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

B.W. Subarnedi
07/09/16

B.W.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3093/एक/2016

जिला-कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-10-16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 69/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम लमतारा प.ह.न. 40/50 रा. नि.म. मुडवारा-2 तहसील व जिला कटनी के पटवारी द्वारा मिसल बंदौबस्त 1987-88 के प्रति के साथ शासकीय पट्टेदारों की मिसल बंदौबस्त के आधार पर अपर कलेक्टर को सूची पेश कर प्रतिवेदित किया गया। कि ग्राम लमतारा प.ह.न. 40/50 स्थित भूमि खसरा नं. 116 रकवा 0.36 है 0 भूमि बंदौबस्त अभिलेख के अनुसार बाबूलाल बल्द बोडा शासकीय पट्टेदार का नाम दर्ज है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुये आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि को संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत बिना अनुमति के अन्तरण किया जाना मानते हुये भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है, कि अपर कलेक्टर का आदेश अवैध एवं अनुचित है।</p>	

B
1/2



आदेश पारित करने के पूर्व पक्षकारों को अपना पक्ष रखने तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इस कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक एवं बाबूलाल बल्द बोडा द्वारा भूमि क्रय विक्रय के संबंध में संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने संबंधी अनुमति नहीं ली गयी। आवेदक द्वारा जिस समय भूमि क्रय गयी उस समय विक्रेता का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित था तथा भूमि अहस्तांतरणीय है इसका कोई उल्लेख राजस्व अभिलेखों में नहीं था। भूमि क्रय के उपरान्त क्रेताओं का विधिवत् नामान्तरण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त तथ्यों को अपर कलेक्टर ने पूरी तरह अनदेखा किया है भूमि का विक्रय सक्षम अधिकारी से हुआ था या नहीं इस तथ्य की भी कोई जाँच नहीं की गयी। यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर ने लम्बे समय पश्चात् पटवारी प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है जो नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी. वीकली नोट 26, 2005 आर.एन 66 2010 आर.एन. 409, पूर्णपीठ उच्च न्यायालय 2013 आर.एन 08 उच्च न्यायालय प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3- अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित हुये हैं तथा उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

में उक्त आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण पटवारी रिपोर्ट पर प्रारंभ हुआ है जिसके आधार पर अपर कलेक्टर यह मानकर की प्रश्नाधीन भूमि बंदौबस्त अभिलेख के अनुसार बाबूलाल बल्द बोड़ा के नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है और वर्तमान अभिलेख में उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज है। आवेदक एवं बाबूलाल बल्द बोड़ा द्वारा उक्त भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत सक्षम अधिकारी अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्तरण को शून्य मानते हुये प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गयी। इस प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये अपर कलेक्टर का आदेश विधि सम्मत् एवं न्यायिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा भूमि बाबूलाल बल्द बोड़ा से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गयी है। भूमि क्रय करने के उपरान्त तद् समय क्रेता का नामान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये है। अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है प्रकरण में जो पटवारी प्रतिवेदन है उसमें उस बात का कोई उल्लेख नहीं है उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किन-किन वर्षों में तथा किस-किस व्यक्ति को किया गया है जबकि उक्त जानकारी राजस्व अभिलेखों के आधार पर पटवारी को रहती है अपर कलेक्टर द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर पक्षकारो को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना एवं साक्ष्य प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक एवं विधि सम्मत् नहीं है। विक्रय लम्बे समय उपरान्त कार्यवाही करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो


12/12

(M)

प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी वीकली नोटस 26, 2005 आर.एन. 66, 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय एवं 2013 आर.एन 08 उच्च न्यायालय के प्रकाश में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक का नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

R
1/2


सदस्य